

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर	अपर जिला न्यायाधीश, नसीराबाद	नसीराबाद
2.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर	अपर जिला न्यायाधीश, कठूमर	कठूमर
3.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर	अपर जिला न्यायाधीश, वैर	वैर
4.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर	अपर जिला न्यायाधीश, इंगरगढ	इंगरगढ
5.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी	अपर जिला न्यायाधीश, नैनवां	नैनवां
6.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ	अपर जिला न्यायाधीश, बैंगू	बैंगू
7.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू	अपर जिला न्यायाधीश, सरदारशहर	सरदारशहर
8.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	अपर जिला न्यायाधीश, सादुलशहर	सादुलशहर
9.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 2, अनूपगढ	अनूपगढ
10.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर	अपर जिला न्यायाधीश, जालोर	जालोर
11.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 2, गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी

12.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 2, नीमकाथाना	नीमकाथाना
13.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही	अपर जिला न्यायाधीश, सिरोही	सिरोही

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत् राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

साथ ही वर्तमान में कार्यरत् अपर जिला न्यायालय, अनूपगढ़, गंगापुरसिटी व नीमकाथाना का नाम परिवर्तित करते हुए अपर जिला न्यायालय, संख्या 1, अनूपगढ़, गंगापुरसिटी व नीमकाथाना किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

(ग्रा। 26.5.2021
(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, अजमेर/ अलवर/ भरतपुर/ बीकानेर/ बून्दी/ चित्तौड़गढ़/ चूरू/ श्रीगंगानगर/ जालोर/ सवाईमाधोपुर/ सीकर/ सिरोही।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाइट एवं ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव